उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-184 /2018/3228/92-2-18-27जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक 28 दिसम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में चयनित ग्राम-गदौली कला, विकास खण्ड-शमशाबाद, तहसील फतेहाबाद, आगरा में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यो में पायी गयी कमियों में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री राजीव कुमार गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के विरूद्व शासन के पत्र संख्या-778/92-2-18-27जांच/2015 दिनांक 27-04-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री राजीव कुमार गुप्ता के दिनांक 30-09-2016 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने तथा घटना के 04 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री गुप्ता के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-04-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिवा

संख्या-184/2018/3228(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री राजीव कुमार गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in